

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ), सेड़वा
(पीठासीन अधिकारी : श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :-95/2022

वाद बाबत :-राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अणसी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी बाधा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. किशना पुत्र रिड़मल 2. पुनमा पुत्र रिड़मल 3. माला पुत्र रिड़मल 4. मोहन पुत्र रिड़मल 5. श्रीराम पुत्र रिड़मल 6. गेरा पत्नी रिड़मल 7. भागीरथ पुत्र खुमा 8. विरमा पुत्र खुमा 9. लाधू देवी पत्नी खुमाराम के कायम मुकाम 9/1 सुजानाराम माता लाधू देवी पिता सदराम 9/2 ओमप्रकाश माता लाधू देवी पिता सदराम 9/3 रामाराम माता लाधू देवी पिता सदराम 9/4 मूर्ति माता लाधू देवी पिता सदराम जातियान विश्नोई निवासीगण बाधा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 10. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना। 11. तहसीलदार सेड़वा	

अधिवक्तागण- वादीनी वकील - श्री श्रीराम विश्नोई

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के वकील- श्री करनाराम कड़वासरा

-:निर्णय :-

दिनांक:- 27/05/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके संदर्भ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/962 दिनांक 02.05.2025 द्वारा मौजा बाधा पटवार हल्का गंगासरा भू.अ. नि. फागलिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 4-3463 हैक्टेयर किस्म बारानी दायम का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

वादीनी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरुद्ध एकतरफा



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव विधि संवत् रूप से तैयार किया गया। सभी पक्षकारान को सूचना के नोटिस जारी किये गये एवं मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान् के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक् से घोषित की जाती है-

क. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अणसी पत्नी रामचन्द्र कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बाधा	74	0-8692	बा.दो.	0.27	गुलाबी
2.	किशनाराम पुनमा माला मोहन श्रीराम पि. रिड़मल गेरी पत्नी रिड़मल हिस्सा 1/4 भागीरथ वीरमा पि. खुमा लाधू पुत्री खुमा 3/4 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन किशनाराम पुनमा माला मोहन गेरी का हिस्सा एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना।	बाधा	74	3-4771	बा.दो.	0.98	आसमानी

तहसीलदार सेड़वा को तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.03.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.25 को खुले इजलास में सुनाया गया।



(बद्रीनारायण आर ए एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी (एसडीओ) सेड़वा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, App'lendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री बदीनारायण, आर.ए.एस.


वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अणसी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति विशुनोई निवासी बाधा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. किशना पुत्र रिड़मल 2. पुनमा पुत्र रिड़मल 3. माला पुत्र रिड़मल 4. मोहन पुत्र रिड़मल 5. श्रीराम पुत्र रिड़मल 6. गेरा पत्नी रिड़मल 7. भागीरथ पुत्र खुमा 8. विरमा पुत्र खुमा 9. लाधू देवी पत्नी खुमाराम के कायम मुकाम 9/1 सुजानाराम माता लाधू देवी पिता सदराम 9/2 ओमप्रकाश माता लाधू देवी पिता सदराम 9/3 रामाराम माता लाधू देवी पिता सदराम 9/4 मूर्ति माता लाधू देवी पिता सदराम जातियान विशुनोई निवासीगण बाधा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 10. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना। 11. तहसीलदार सेड़वा	

मुकदमा नम्बर : 95/2022

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act

अणसी देवी बनाम किशना वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री श्रीराम विशुनोई वादीनी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उनके कार्यालय पत्रांक: भू.अ./2025/962 दिनांक 02.05.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव हेतु अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है-



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 95/2022
उनवान- अणसी देवी बनाम किशना वगैरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान्	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	अणसी पत्नी रामचन्द्र कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बाधा	74	0-8692	बा.दो.	0.27	गुलाबी
2.	किशनाराम पुनमा माला मोहन श्रीराम पि. रिड़मल गेरी पत्नी रिड़मल हिस्सा 1/4 भागीरथ वीरमा पि. खुमा लाधू पुत्री खुमा 3/4 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन किशनाराम पुनमा माला मोहन गेरी का हिस्सा एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना।	बाधा	74	3-4771	बा.दो.	0.98	आसमानी

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिकी नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपर्युक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में तरमीम करने एवं पृथक् पृथक् खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन



बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/08/25 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी (एसडीओ) सेड़वा

वाद के खर्चे

मुद्दै	रुपया	पै.	मुद्दालय	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

99th कोर्स

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 962

दिनांक:- 02-05-2025

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेडवा (जिला- बाडमेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 95/2022 अनवान अणसीदेवी वगैरह बनाम किशनाराम वगैरा में
विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान जी का आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/2326 दिनांक 30.11.2022 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्ता विषयान्तर्गत निवेदन है कि अनवान राजस्व वाद संख्या 95/2022 अनवान अणसीदेवी वगैरह बनाम किशनाराम वगैरा मौजा बाधा के खसरा नंबर 74 रकबा 26.17 बिघा अन्तर्गत धारा 53,188 RT ACT में विभाजन प्रस्ताव हेतु आप द्वारा मौके की विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट चाही थी। जिसकी अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 27.03.2025 को मौका जांचकर कब्जा काश्त व न्यायालय के आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जो इस पत्रांक के सलंगन में भिजवाया जा रहा है।

भवदीय
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

युद्ध कोट

सहायक कलेक्टर
(BDO) सेवका

में मूपेन्द्र कुमार सेधू (नाम) तहसीलदार सेडवा, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, सेडवा के आदेश क्रमांक दिनांक की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक समय बजे आराजी खसरा नम्बर-74 वाके ग्राम बाधा पटवार हल्का गंगासरा पर श्री ब.सारायम नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।
पदागतिदा श्री मोगीलाल प.मि. गंगासरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, सेडवा में विचाराधीन प्रकरण संख्या-१५/२०२२ के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	मालाराम	पुत्र रिडमल	50	विश्वनोई	प्रतिवादी
2.	किशनाराम	पुत्र रिडमल	46	विश्वनोई	प्रतिवादी
3	अणसी पत्नी	रामचन्द्र	70	विश्वनोई	वादी

प्रतिवादी सं 3 लक्ष्मी पुत्री खुमाराम फौत हो चुकी है। जिनके कायम मुकाफ को मौके पर उपस्थिति हेतु नोटिस तामिल करवाये गये।

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा (हे.)	जिल्हा	तजाव	बंश
1	अणसी पत्नी रामचन्द्र काम विश्वनोई साण्डेह खातेदार	बाधा	74	0.8692	बा.दे	0.27	गुलबी
2.	किशनाराम पुनमा माला मोहन श्रीराम पि० रिडमल गेरी पत्नी रिडमल हिस्सा 1/4 भागीरथ वीरमा पि० खुमा लक्ष्मी पुत्री खुमा 3/4 हि० काम विश्वनोई साण्डेह खातेदार रहन-किशनाराम पुनमा भूमिस्थ माला मोहन गेरी का हिस्सा 585/शाबा घोरीपना	बाधा	74	3.4711 र.	बा.दे	0.98	आमनासी

विभाजन प्रस्ताव मान. न्यायालय की प्रारम्भिक डिप्टी के निर्णयानुसार प्रतिवादी सं 1 से 09 के कल्याणकर एवं प्रो.मा.सि.रि.रहासी ठीकी तथा वादी सं 1 का कटजाकारत क्रुसात खसरा नम्बरे में बंश गुलबी दर्शाया गया है जिसे के अन्तगत कई मीटस खस बाडोड प्रस्ताव तैयार किया गया।
पदागतिदा (पु.अ.) सेडवा

पक्ष कार्य

सहायक कमिश्नर (SDO) सेड़वा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	झगसी चेली	रामचन्द्र	बिश्नीई		वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
1	मालाराम पुत्र	रिङ्गलराम	50	बिश्नीई	प्रतिवादी
2	किशनराम पुत्र	रिङ्गलराम	46	बिश्नीई	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1	सुरेश कुमार पुत्र	केसराम	30	जाट	सा बाधा

इस प्रकार आज दिनांक 27/03/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature
प. अ. अ. अ. अ.

हस्ताक्षर
पटवारी (प.अ.) नंगासरा
तहसील सेड़वा
प. म.

Signature
हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत्त: फारागिदा

हस्ताक्षर
ना. तह.

Signature
हस्ताक्षर
तहसीलदार (प.अ.) सेड़वा



आने झगसी

Signature

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी (प्रतिलिपि)

तहसील : सेडवा

ग्राम : बाधा

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 30/03/2025 12:29:41 PM

भू. अ. नि. क्षेत्र : फणोलिया

सहायक कमिश्नर (S.D.O.) सेडवा

राजस्थान सरकार त 95/2022 अन्वय

अणसी वनाक निशानाक कौरेक मे विभाजन प्रस्ताव - तन्मय


संकेत



वादी अणसी वी प्रति



उत्पिदी निशाना कौरेक मे प्रति सं 1 से 9



Scale 1:500

खसरा संख्या : 74 क्षेत्रफल : 4.3463 Hectare खाता संख्या : 8 पुराना खाता संख्या : 261
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बा. दौयम [4.3463, 1.35]

- 1.) अणसी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा- 1/5 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 10.) श्री राम पुत्र रिडमल हिस्सा- 1/30 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 2.) किशनाराम पुत्र रिडमल हिस्सा- 1/30 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 3.) मेरी पत्नि रिडमल हिस्सा- 1/30 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 4.) पुनमा पुत्र रिडमल हिस्सा- 1/30 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 5.) भागीरथ पुत्र खुमा हिस्सा- 1/5 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 6.) माला पुत्र रिडमल हिस्सा- 1/30 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 7.) मोहन पुत्र रिडमल हिस्सा- 1/30 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 8.) लाधु पुत्री खुमा हिस्सा- 1/5 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 9.) वीरमा पुत्र खुमा हिस्सा- 1/5 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार

[Signature]
सहायक कमिश्नर (पू.अ.) सेडवा

कौरेक (पू.अ.) गंगासरा

[Signature]
1/2 फणोलिया

[Signature]
सहायक कमिश्नर (पू.अ.) सेडवा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील



- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।